

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना-साइबर क्राइम

दिनांक-05.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त ओलाटॉय ओलाडेले क्वासिम पुत्र ओलाडेले क्वासिम निवासी ब्रास स्ट्रीट लागोस देश नाइजीरिया मु०अ०स० 03/2024 वाद संख्या 5848/2024 धारा 420 भादवि० व 66डी आई एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहररि के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 05.08.2026 को मा० न्यायालय सीजेएम कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



पीओ - श्री चन्दरेश कुमार



को० मो० -पीयूष कुमार



पैरोकार का० अंकित कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-05.08.2026

कोतवाली - फर्रुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. संजू उर्फ संजय बाबू पुत्र श्यामलाल निवासी रसूलपुर थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज 2. गोपाल पुत्र अंगने निवासी बजरिया कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ 3. सतीश पुत्र प्यारेलाल निवासी नागर सुन्नगढ़ी जनपद कासगंज मु0अ0सं0 - 1283/2016 वाद संख्या 409/2026 व 398/2026 व 35/2017 धारा 354, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानिट्रिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 05.08.2026 को प्रत्येक को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000- 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



को0 मो0 मो0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार



फतेहगढ़ पुलिस



*** मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ***

#OperationConviction

दिनांक-05.08.2026

कोतवाली - फर्रुखाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान व “ मिशन शक्ति 5.0 द्वितीय चरण ” के दृष्टिगत महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. संजू उर्फ संजय बाबू पुत्र श्यामलाल निवासी रसूलपुर थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज 2. गोपाल पुत्र अंगने निवासी बजरिया कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ 3. सतीश पुत्र प्यारेलाल निवासी नागर सुन्नगढ़ी जनपद कासगंज मु0अ0सं0 - 1283/2016 वाद संख्या 409/2026 व 398/2026 व 35/2017 धारा 354, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानिट्रिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा0 न्यायालय स्पेशल जज व पॉक्सो कोर्ट द्वारा दिनांक 05.08.2026 को प्रत्येक को दोषसिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 12000- 12000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री विकास कटियार



एडीजीसी - श्री तेज सिंह



को0 मो0 मो0 का0 प्राची



पैरोकार - का0 राजीव कुमार

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली - मोहम्मदाबाद

दि०-05.08.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. शिवमंगल पुत्र माधोराम 2. अमरपाल पुत्र देवीदयाल 3. वीरेश्वर पुत्र देवीदयाल निवासीगण अलावलपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०स० - 10/2006 वाद संख्या 226/2007 धारा 304/34, 323/24, 504 भादवि० कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहरर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए मा० न्यायालय एडीजे-०१ कोर्ट द्वारा दिनांक 05.08.2026 को प्रत्येक को दोषसिद्ध कर 08 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 10000/- 10000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी-श्री हरिनाथ सिंह



एडीजीसी-श्री संजीव कुमार पाल



को० मो० - हे०का० अजय कुमार



पैरोकार- का० सुमित राठी